–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 15/2023

उनवान

1. सायरी पत्नी उमराव
2. धापू पुत्र उमराव
3. शांति पुत्री उमराव
4. फातमा पुत्री उमराव
5. नैनी पुत्री उमराव
6. सुगरी पुत्री उमराव
7. चक्का पुत्री उमराव
8. समीदा बानो पत्नी देवा पुत्र उमराव
9. शाहीद पुत्र उेवा पुत्र उमराव
10. अययूब खां पुत्र देपा पुत्र उमराव
11. शौकत अली पुत्र देवा पुत्र उमराव
12. शहजाद खान पुत्र देवा पुत्र उमराव
13. समीन खां पुत्र देवा पुत्र उमराव समस्त जाति चीता निवासी ग्राम देवला की डांग, राजोसी, नसीराबाद

––प्रार्थीगण :–जरियें अधिवक्ता श्री राजेश गोमा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. मैनेजर, यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद

––अप्रार्थीगण :– 2 अनुपस्थित, 1 जरियें राज. पैरोकार

3. अलादीन
4. समीर
5. सकीना पि. मुनीर
6. रशीदा पत्नी गोगा
7. सगीर पुत्र गोमा
8. इरफान पुत्र गोमा
9. जाफर खान पुत्र गोमा
10. जावेद खान पुत्र गोमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

11. बिस्समिल्ला पुत्री निम्बा
12. रेशमा पुत्री निम्बा
13. सलीमी पुत्री सायर
14. मदीना पत्नी बशीर
15. असलम पुत्र बशीर
16. हकीम पुत्र बशीर
17. सद्दाम पुत्र बशीर
18. रूबिना बानो पुत्री बशीर
19. शान्ति पत्नी मेवा समसत जाति चीता निवासी ग्राम देवला की डांग, राजोसी, नसीराबाद
20. सुवालाल पुत्र रूपालाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बलवंता, अजमेर।

-- प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :- अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: आदेश :- दिनांक :- 12.2.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ब्राह्मणों का बाडिया, राजोसी के वंर्किग खसरा नम्बर 1507 व 1520 के हाल खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.06, 1883 रकबा 0.23 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी के वंर्किग राजस्व मानचित्र से हाल मानचित्र बनाते समय राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया है। वंर्किग खसरा नम्बर 1507 की उत्तरी भुजा की लम्बाई 16 मीटर व पूर्वी भुजा की लम्बाई 44 मीटर थी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1882 में उत्तरी भुजा की लम्बाई 8 मीटर व पूर्वी भुजा की लम्बाई 28 मीटर कर दी। वंर्किग खसरा नम्बर 1520 की दक्षिण भुजा की लम्बाई वंर्किग नक्शें में 12 मीटर थी, जिसें हाल नक्शें में बने खसरा नम्बर 1883 में दक्षिण भुजा की लम्बाई 8 मीटर कर दी। उक्त त्रुटि के कारण मौके पर विवाद की आंशका उत्पन्न हो गयी है। अतः आराजी मुतनाजा के वर्तमान राजस्व मानचित्र का इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 20 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खातेदारी होने से राजहित प्रभावित नही होते हैं। हालन मानचित्र वंर्किग मानचित्र के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 1882 व 1883 प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण की खातेदारी में है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 1507 [illegible] 1520 [illegible] प्रार्थीगण का कथन है कि वंर्किग खसरा नम्बर 1507 की उत्तरी [illegible] भुजा की लम्बाई 44 मीटर थी, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1882 [illegible] की लम्बाई 8 मीटर

--3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

व पूर्वी भुजा की लम्बाई 28 मीटर कर दी। वंर्किग खसरा नम्बर 1520 की दक्षिण भुजा की लम्बाई वंर्किग नक्शें में 12 मीटर थी, जिसें हाल नक्शें में बने खसरा नम्बर 1883 में दक्षिण भुजा की लम्बाई 8 मीटर कर दी। उक्त त्रुटि के कारण मौके पर विवाद की आंशका उत्पन्न हो गयी है। राज. पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही किया है। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है, उनके हित प्रकरण में प्रभावित नही होते है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम ब्राहमणों का बाडिया, राजोसी के वंर्किग खसरा नम्बर 1507 व 1520 के हाल खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.06, 1883 रकबा 0.23 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:35:55 IST
Reason: SelfAttested